

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ~~प्राप्त नामवादी श्री मन्वीर सिंह~~ ~~सन् 2015-18 के खाते~~

सं 11 में खातेदार का नाम मन्वीर सिंह हरनाथ दर्ज रिपोर्ट है। अभी तक उपर दस्तावेज राशन कार्ड, पश्चिम पत्र, नापाटकार के अर्धी का नाम मन्वीर सिंह हरनाथ प्रकृत है।
अतः श्रीमान प्रो डी निवेदन है कि अभी का नाम मन्वीर सिंह हरनाथ के बजाय
मन्वीर सिंह हरनाथ रिच पत्र रिपोर्ट श्रीमान श्री खेबादे खातर प्रकृत है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक :-

15-12-20
14/12/20
16/12/20

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त नाम जांच उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 16-12-20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	नातरवाडी	2075-78	11	मन्वीरलाल सिंह हरनाथ	मन्वीर सिंह हरनाथ

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

16/12/20
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 18/12/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2316
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया



16/12/20
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी